कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी

प्रेस-नोट

दिनांक:- 16.05.2024

विषय:- थाना चौक पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के 2 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस उपायुक्त ज़ोन काशी महोदय के आदेश के क्रम में व श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त जोन काशी महोदय व श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध महोदय के कुशल निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी विमल कुमार मिश्र की टीम द्वारा दिनांक 15.05.2024 को देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन व तलाश वांछित अभियुक्त के क्रम में मु0अ0सं0-52/2024 धारा 3 (1) व 2(ख)(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. आलोक सेठ पुत्र रामेश्वर सेठ निवासी पुराना पुल थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी उम्र करीब 23 वर्ष 2. दीपक कुमार सिंह पुत्र विनोद कुमार सिंह निवासी SA19/110K दीनदयालपुर नक्खीघाट थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी उम्र 23 वर्ष को अभियुक्तगण के घर से दिनांक 15.05.2024 को क्रमशः पुरानापुल सारनाथ व नक्खीघाट सारनाथ से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण:-

दिनांक 09.05.2024 को थाना चौक पर मु0अ0सं0-52/2024 धारा3 (1) व 2(ख)(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 बनाम अभियुक्तगण 1. आलोक सेठ पुत्र रामेश्वर सेठ निवासी पुराना पुल थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी उम्र करीब 23 वर्ष 2. दीपक कुमार सिंह पुत्र विनोद कुमार सिंह निवासी SA19/110K दीनदयालपुर नक्खीघाट थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी 3. शुभम सेठ पुत्र सोहन सेठ निवासी सलारपुर थाना सारनाथ वाराणसी उम्र 24 वर्ष पंजीकृत किया गया था । जिसकी विवेचना श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त सर्किल दशाश्वमेध कमिश्नरेट वाराणसी महोदय के आदेशानुसार प्रभारी निरीक्षक दशाश्वमेध कमिश्नरेट वाराणसी श्री राकेश पाल के द्वारा की जा रही है। अभियुक्त शुभम सेठ उपरोक्त जेल में निरुद्ध है तथा अभियुक्तगण आलोक सेठ व दीपक कुमार सिंह के सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक दशाश्वमेध द्वारा हुकुम तहरीरी दी गयी थी जिसके क्रम में अभियुक्तगण आलोक सेठ व दीपक कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियोग का विवरण:-

1. मु0अ0सं0- 002/2024 धारा 379/411/413/414 भादवि0 थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी।
2. मु0अ0सं0- 003/2024 धारा 379/411/413/414 भा0द0वि0 थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी ।
3. मु0अ0सं0- 269/2023 धारा 379 भा0द0वि0 थाना जैतपुरा कमिश्नरेट वाराणसी ।
4. मु0अ0सं0- 272/2023 धारा 379 भा0द0वि0 थाना जैतपुरा कमिश्नरेट वाराणसी।
5. मु0अ0सं0- 140/2023 धारा 379 भा0द0वि0 थाना आदमपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

6. मु0अ0सं0- 02/2024 धारा 379 भा0द0वि0 थाना आदमपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
7. मु0अ0सं0-52/2024 धारा 3 (1) व 2(ख)(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986

अभियुक्त का विवरण:-

1. आलोक सेठ पुत्र रामेश्वर सेठ निवासी पुराना पुल थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी उम्र करीब 23 वर्ष
2. दीपक कुमार सिंह पुत्र विनोद कुमार सिंह निवासी SA19/110K दीनदयालपुर नक्खीघाट थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी उम्र 23 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय:- पुरानापुल सारनाथ व नक्खीघाट सारनाथ दिनांक 15.05.2024 को

बरामद एवं गिरफ्तार करने वाली टीम: -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री विमल कुमार मिश्रा थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 श्री विकल शांडिल्य थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी
3. उ0नि0 श्री राकेश कुमार थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी।
4. हे0का0 अमरेन्द्र सिंह थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी।
5. हे0का0 यशवन्त सिंह थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी